पत्रांक–जी.एस.टी./03/2020–21/COVID-19 जनित परिस्थितियों में विभागीय प्राथमिकता/

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 24 अप्रैल, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0/अपील),
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पो0/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट)
वाणिज्य कर उ0प्र0।

विषय : कोविड–19 जनित परिस्थितियों में जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत विभागीय प्राथमिकताओं का निर्धारण।

आप सभी अवगत हैं कि, विगत कुछ दिनों से Covid-19 के कारण असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देशव्यापी Lockdown के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिसका प्रभाव राजस्व संग्रह पर पड़ना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में राजस्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रोतों की पहचान किया जाना तथा दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार किया जाना अपेक्षित है।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, महोदय के शासनादेश संख्या–264/2020/सी.एक्स.–3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 एवं कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–315/सामान्य–का–4–2020 दिनांक 17.04.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लम्बी Lockdown अवधि के उपरान्त अधिकांश विभागीय कार्यालयों में राजकीय कार्य प्रारम्भ हुआ है। कुछ जनपदों में COVID-19 Hot Spot के कारण अभी भी विभागीय कार्यालय नहीं खुल सके है। जिन जनपदों में अभी तक विभागीय कार्यालीय सुचारू रूप से नहीं खोले जा सके हैं, उन जनपदों में एडजुडिकेशन विंग में तैनात अधिकारियों तथा प्रवर्तन विंग में तैनात वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को "Work From Home" हेतु अपेक्षित VPN सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। Covid-19 Pandemic की अत्यन्त संक्रामक प्रवृत्ति के दृष्टिगत Lockdown समाप्त होने के पश्चात् भी लम्बी अवधि तक सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियों का पालन किया जाना अपेक्षित होगा। वर्तमान परिस्थितियों में प्रवर्तन आदि फील्ड आधारित कार्यवाही पूर्ववत् संचालित किए जाने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा।

वर्तमान परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत विभागीय कार्यों की प्राथमिकता एवं कार्य योजना निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1. एडजुडिकेशन विंग के लिए प्राथमिकताएं एवं कार्य योजना :–

1.1 विभागीय डाटा बेस का अपडेशन –

1.1.1 जी0एस0टी0 कर प्रणाली के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करते समय टैक्स पेयर को व्यापार की प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं का HSN/SAC अंकित करने की बाध्यता नहीं है, जिसके कारण किसी वस्तु अथवा सेवा विशेष के व्यापार हेतु पंजीकृत व्यापारियों की संख्या, किसी वस्तु विशेष/सेवा विशेष से प्राप्त होने वाले राजस्व का वास्तविक विश्लेषण संभव नहीं हो पाता है।

Scanned with CamScanner

Boweb में आफीसर्स लॉगिन पर "Services" के Menu में Taxpayer's Categorization का विकल्प उपलब्ध है, जिसमें पंजीकृत Taxpayers के व्यापार की प्रमुख वस्तुओं/सेवाओं का HSN / SAC अंकित किए जाने से Taxpayers का सेक्टोरल डाटा बेस सुगमता से तैयार किया जा सकता है। पंजीकृत व्यापारियों का HSN / SAC अपडेट किए जाने हेतु मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से निर्देशित किया जाता रहा है, अभी तक पूरे प्रदेश में इस Menu में अभी तक केवल 74 Taxpayers का डाटा अपडेट किया गया है। **सभी पंजीकृत Taxpayers के Predominant Business Sector / Predominant Nature of Business से सम्बन्धित डाटा सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपडेट किया जाएगा।**

1.1.2. मुख्यालय के परिपत्र संख्या–विधि–4(2)/शेयर होल्डर्स–बकाया वसूली/2019–20/212/ दिनांक 09.08.2019 तथा मुख्यालय के परिपत्र संख्या–ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0)/शेयर होल्डर्स–बकाया वसूली/19–20/1773 दिनांक 03 दिसम्बर 2019 से प्रत्येक जोन की संवेदनशील वस्तुओं/सेवाओं के व्यापार में संलग्न इकाईयों/कम्पनियों की 360° प्रोफाइलिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा इस कार्य हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया था। लगभग सभी जोन्स में यह कार्य अभी भी अपूर्ण है। उक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक जोन में यह कार्य पूर्ण किया जाएगा। आडिट विंग में तैनात अधिकारियों द्वारा इस कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

1.2 राजस्व की दृष्टि से परिणाम परक रिटर्न स्क्रूटनी :–

जी0एस0टी0 कर प्रणाली में राजस्व प्राप्ति का सर्वप्रमुख **श्रोत** टैक्सपेयर्स द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न हैं। उपलब्ध डाटा के प्रारम्भिक विश्लेषण के आधार पर राजस्व की दृष्टि से रिटर्न स्क्रूटनी हेतु कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मानक निम्नवत् निर्धारित किए जाते हैं –

1.2.1 विलम्ब से दाखिल रिटर्न्स में निहित ब्याज का आंकलन :–

विलम्ब से रिटर्न दाखिला की स्थिति में देय कर के साथ ब्याज की देयता भी होती है। रिटर्न डाटा की ट्रेंड एनालिसिस पर पाया गया कि प्रत्येक टैक्स पीरियड में 25 से 30 प्रतिशत रिटर्न नियत तिथि (Due Date) के बाद दाखिल हुए हैं। यह भी देखा गया कि विलम्ब से दाखिल अधिकांश रिटर्न के साथ ब्याज जमा नहीं है। जुलाई 2017 में जी0एस0टी0 लागू होते समय विलम्ब से रिटर्न दाखिल होने की स्थिति में सकल कर देयता (Gross Liability) पर ब्याज की गणना की व्यवस्था थी, जिसे बाद में शुद्ध कर देयता (Net Liability) पर निर्धारित किया गया। दिनांक 14 मार्च 2020 को आयोजित जी0एस0टी0 काउंसिल की 39वीं बैठक में शुद्ध कर देयता पर ब्याज की गणना की व्यवस्था दिनांक 01 जुलाई 2017 से ही प्रभावी किए जाने का निर्णय लिया गया, **इस प्रकार दिनांक 01 जुलाई 2017 के उपरान्त विलम्ब से दाखिल सभी रिटर्न्स के सम्बन्ध में ब्याज की गणना सम्बन्धित रिटर्न में निहित शुद्ध कर देयता पर की जानी है।**

प्रत्येक जोन में विलम्ब से दाखिल सभी रिटर्न्स की सेक्टरवार सूची तैयार करते हुए जोन में ब्याज के मद में निहित कुल राजस्व की आकलन शीट तैयार की जाएगी।

1.2.2 GSTR–1 तथा GSTR–3बी में अन्तर के कारण निहित राजस्व का आंकलन :–

उपलब्ध आंकड़ों के प्रारम्भिक विश्लेषण पर पाया गया कि अनेक मामलों में GSTR-1 में घोषित कुल Outward Supply के सापेक्ष GSTR-3B में कम Outward Supply घोषित की गई

Scanned with CamScanner

है। इस श्रेणी के रिटर्न्स में राजस्व की पर्याप्त संभावना निहित है। इस श्रेणी के मामलों की MIS Officers Login पर उपलब्ध है। **प्रत्येक जोन में इस श्रेणी के रिटर्न्स को चिन्हित करते हुए जुलाई 2017 से सेक्टरवार सूची तैयार की जाएगी तथा जोन में इस मद में निहित कुल राजस्व की आकलन शीट तैयार की जाएगी।**

1.2.3. ऐसे प्रकरण जहाँ GSTR-1 दाखिल है, किन्तु GSTR-3B दाखिल नहीं है, में निहित राजस्व का आंकलन –

अनेक मामलों में टैक्सपेयर्स द्वारा **GSTR-1** दाखिल कर दिया जाता है, किन्तु **GSTR-3B** दाखिल नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि **GSTR-3B** दाखिल न होने से वांछित राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों की **MIS** रिपोर्ट आफिसर्स लॉगिन पर उपलबध है। **जुलाई 2017 से इस श्रेणी के सभी मामलों की सूची सेक्टरवार तैयार की जाएगी तथा जोन में इस मद में निहित कुल राजस्व की आकलन शीट तैयार की जाएगी।**

1.2.4. गलत आई0टी0सी0 क्लेम के मामलों में निहित राजस्व का आंकलन –

मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध डाटा के प्रारम्भिक विश्लेषण पर यह पाया गया कि गलत आई0टी0सी0 क्लेम के मामलों में **Potential Revenue** निहित है। उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 अधिनियम/नियमावली/विज्ञप्तियों के आलोक में वर्षवार विभिन्न मद में गलत ढ़ंग से क्लेम की गई आई0टी0सी0 के मामलों को चिन्हित किया जाएगा तथा इस श्रेणी के मामलों की सेक्टरवार सूची संक्षिप्त विवरण सहित तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर जोन में इस मद में निहित राजस्व की आकलन शीट तैयार की जाएगी। यह कार्य अवरोही क्रम में किया जाएगा, अर्थात् इस श्रेणी के मामलों का परीक्षण बड़ी धनराशियों के आई0टी0सी0 क्लेम से प्रारम्भ किया जाएगा।

1.2.5 TRAN-1 / TRAN-2 का सत्यापन –

प्रत्येक खण्ड में दाखिल **TRAN-1/TRAN-2** की सूची तैयार की जाएगी तथा प्रत्येक **TRAN-1/TRAN-2** का परीक्षण तत्समय प्रचलित अधिनियमों एवं उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में किया जाएगा। प्रत्येक जोन में इस श्रेणी के मामलों में निहित राजस्व की आकलन शीट तैयार की जाएगी।

यह समस्त कार्य इस आशय से किया जाएगा कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर इन सभी मदों में निहित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। उक्त सभी बिन्दुओं पर प्रगति की सूचना मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रारूप अतिशीघ्र प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

प्रत्येक सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्भाग की संकलित सूचना जोनल एडीशनल कमिश्नर को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। **प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर उक्त सभी बिन्दुओं पर हुई प्रगति के सम्बन्ध में पाक्षिक रूप से अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे। अर्द्धशासकीय पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय द्वारा वांछित विवरण भी संलग्न किया जाएगा। आंकड़े मुख्यालय प्रेषित करते समय आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उक्त सभी मदों में पूरे प्रदेश में निहित राजस्व का वास्तवितक आकलन सम्भव हो सके।**

2. वि0अनु0शा0 विंग के लिए प्राथमिकताएं एवं कार्य योजना :–

Scanned with CamScanner

2.1 वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा प्रकाश में लायी गई बोगस/Non Existant फर्मों से सम्बन्धित नेटवर्क का डाटा विश्लेषण करके वास्तविक लाभार्थी की पहचान –

2.1.1 प्रदेश की सभी वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा बड़ी संख्या में बोगस/Non Existant फर्मों की जाँच की गई है। इस श्रेणी के लगभग सभी मामलों में भारी मात्रा में बोगस इनवाइसिंग के माध्यम से कभी बड़ी धनराशि आई0टी0सी0 के रूप में अंतरित की गई है। अधिकांश मामलों में इस श्रेणी की फर्में किसी नेटवर्क का हिस्सा होती हैं। GSTR-1, GSTR-2A, GSTR-3B, ई–वे बिल डाटा, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर एवं बैंक एकाउण्ट डाटा के समेकित विश्लेषण से इस प्रकार के नेटवर्क में बोगस आई0टी0सी0 के वास्तविक लाभार्थी की पहचान संभव है।

इस श्रेणी के सभी मामलों में उपलब्ध डाटा का 360^0 विश्लेषण करके वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिससे इस प्रकार के सभी मामलों में वास्तविक लाभार्थी से राजस्व वसूली संभव हो सके।

जिन मामलों में नेटवर्क का विस्तार अन्तरप्रान्तीय है उन राज्यों में कार्यवाही हेतु तथ्यपरक प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित राज्यों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाएंगे।

2.1.2 अब तक प्रकाश में लाए गए बोगस/Non Existent फर्मों के सभी मामलों के परीक्षण के समय ऐसे मामलों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिनमें नियम–86ए के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। इस श्रेणी के सभी मामलों में कार्यवाही हेतु अधिकृत अधिकारी को त्वरित ई–मेल प्रेषित करते हुए यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।

2.2. अब तक सम्पादित वि0अनु0शा0 जाँच के मामलों में प्रेषित प्रतिवेदनों की गुणवत्ता का मूल्यांकन –

मुख्यालय पर आयोजित अधिकांश समीक्षा बैठकों में एडजुडिकेशन विंग द्वारा प्रतिवेदनों को कतिपय स्पष्टीकरण हेतु वि0अनु0शा0 इकाईयों को पुनः संदर्भित किए जाने का तथ्य संज्ञान में लाया गया है। अब तक प्रकाश में लाये गये अधिकांश बड़े मामलों में कर अपवंचन के उद्देश्य से अधिनियम/नियमावली/विज्ञप्तियों के किसी न किसी प्राविधान का सुविचारित उल्लंघन पाया गया है। वि0अनु0शा0 प्रतिवेदनों में सुसंगत विधिक प्राविधानों के आलोक में आंकड़ों का विश्लेषण एवं विधिक प्राविधानों के उल्लंघन के समुचित साक्ष्य अंकित किए जाने से वि0अनु0शा0 प्रतिवेदनों की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी। गुणवत्ता परक प्रतिवेदनों को पुनः वि0अनु0शा0 इकाईयों को संदर्भित किए जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

2.2.1. ऐसे प्रत्येक वि0अनु0शा0 प्रतिवेदन जिनमें रू0 50 लाख से कम अपवंचित कर निहित है, का मूल्यांकन सुसंगत विधिक प्राविधानों, आंकड़ों, जाँच के पूर्व तथा जाँच के समय संकलित तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों के उल्लंघन के संकलित साक्ष्यों के आलोक में सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा स्वयं किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन जिनमें उ0प्र0एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–75(7) के प्राविधानों के अनुरूप Tax, interest and penalty की समुचित गणना एवं अपवंचन के स्पष्ट विधिक आधार/समुचित साक्ष्य अंकित नहीं है, में यथासम्भव पूरक प्रतिवेदन अथवा आधार सहित अपवंचित कर की गणना का चार्ट तैयार कराकर एडजुडिकेटिंग अथारिटी को उपलब्ध कराया जाएगा।

रू0 50 लाख से अधिक अपवंचित कर से सम्बन्धित प्रतिवेदनों के मामलों में यह कार्य एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

2.2.2. उ0प्र0एस0जी0एस0टी0 / सी0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–130 के अन्तर्गत कार्यवाही अथवा प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने हेतु लम्बित 6 माह से अधिक पुराने सभी मामलों में धारा–130 के अन्तर्गत नोटिस / प्रतिवेदन का आलेख तैयार कर लिया जाएगा। इस श्रेणी के मामलों में बैंक आदि से सूचना प्राप्त किया जाना अपेक्षित होने पर यह कार्य भी प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मानको के दृष्टिगत बैंक आदि संस्थानों से डाटा संकलन हेतु दूरभाष / ई–मेल पर संवाद स्थापित किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.3. प्रत्येक जोन में सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से ऑन लाइन प्लेटफार्म के माध्यम से दी जा रही सेवाओं, वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर आदि से सम्बन्धित सबसे बड़े 10 टैक्स पेयर्स के डाटा का समग्रता में विश्लेषण करते हुए इन टैक्स पेयर्स की 360^0 प्रोफाइलिंग की जाएगी।

उक्त सभी बिन्दुओं पर प्रगति की सूचना मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रारूप अतिशीघ्र प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

प्रत्येक सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्भाग की संकलित सूचना एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) उक्त सभी बिन्दुओं पर हुई प्रगति के सम्बन्ध में पाक्षिक रूप से अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे। अर्द्धशासकीय पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय द्वारा वांछित विवरण भी संलग्न किया जाएगा।

3. विभागीय अधिकारियों की विधिक एवं विश्लेषणात्मक अभिरूचि का संवर्धन :–

3.1. प्रत्येक जोन में Whatsapp, E-mail group बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कनिष्ठ अधिकारियों को विधिक प्राविधानों, रिटर्न, बैलेंसशीट आदि से सम्बन्धित डाटा के विश्लेषण से सम्बन्धित टास्क आवंटित किए जाएंगे तथा विभागीय अधिकारियों को अलग–अलग बिन्दुओं पर ग्रुप डिस्कशन हेतु प्रेरित किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा।

3.2. विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान अधिनियम / नियमावली / विज्ञप्तियों / परिपत्रों में अपेक्षित संशोधन चिन्हित किए जाएंगे तथा प्रत्येक जोन से वांछित संशोधन हेतु तथ्य परक सुझाव एडीशनल कमिश्नर (विधि), मुख्यालय को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे।

4. प्रत्येक जोन में स्थानीय कारकों के परिप्रेक्ष्य में जोन के Revenue Potential को देखते हुए कुछ Best Practices अपनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक जोन में अपनायी गई Best Practices के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त नोट एवं प्रस्तुतिकरण जी0एस0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जोन्स से प्राप्त Best Practices का संकलन जी0एस0टी0 अनुभाग द्वारा किया जाएगा तथा यह संकलन सभी जोन्स को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. प्रत्येक जोन से उक्त मानकों पर उल्लेखनीय प्रयास करने वाले कनिष्ठ विभागीय अधिकारियों के नाम व पदनाम, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के संक्षिप्त विवरण सहित मुख्यालय प्रेषित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

कृपया सभी विभागीय अधिकारियों को उक्त प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए तद्नुरूप सभी बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में कोई कठिनाई होने पर प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में ले आए।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन को माननीय महोदय के अवलोकनार्थ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (आई0एम0सी0/आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0/वि0अनु0शा0) को वांछित प्रारूप तैयार करने एवं फालोअप हेतु।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner